निषाद/मछुआरा एकता जिन्दाबाद! *जिन्दाबाद, जिन्दाबाद!!*

जाल–बाँस, नाव, हथियार हमारा! जलकर पर हो अधिकार हमारा!!

बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ, जिन्दाबाद।

विश्व मात्स्यिकी दिवस

के अवसर पर मछुआरों का महापंचायत

दिनांक–21 नवम्बर (सोमवार) 2011 को पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन से

स्थान :–श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उत्तरी गाँधी मैदान, पटना।

मछुआरा भाईयों एवं बहनों,

बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ लि0 (कॉफ्फेड) अपने स्थापना काल से ही राज्य के लगभग **डेढ़ करोड़** मछुआरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहा है। आप सभी अवगत है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिले में गैर मछुआरे मछुआ समितियों पर अपना कब्जा जमा लिए है एवं परम्परागत मछुआरों को मछुआ समिति से बेदखल कर दिए है जो परम्परागत मछुआरों के साथ अन्याय है। मछुआरे बेरोजगारी की दंश झेल रहे है एवं रोजगार की तलाश में बिहार से पलायन कर रहे है। मछुआरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्थिति दिन–प्रतिदिन बद–से–बदत्तर होते जा रही है। मछुआरों को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार मछुआरों की समस्याओं का स्थायी निदान करें। उक्त कार्यक्रम कॉफ्फेड, पटना के अध्यक्ष श्री ऋषिकेश कश्यप की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी, जिसके उद्घाटनकर्त्ता माननीय सांसद एवं पूर्व केन्द्रिय मंत्री, भारत सरकार श्री कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद, मंच संचालन श्री छोटे सहनी, निदेशक, कॉफ्फेड, गुरूकुल, पटना एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री धर्मेन्द्र सहनी, मीडिया प्रभारी, कॉफ्फेड, पटना करेंगे एवं सम्मानित अतिथि मछुआ समुदाय के सभी नेतागण है।

<u>**मुख्य माँगे**</u> :–

1. महादलित के तर्ज पर परम्परागत मछुआरों की सूची जारी किया जाए एवं राज्य के सभी मत्स्यजीवी समिति (यथा 1935 एवं 1996) से गैर मछुआ सदस्यों को निष्कासित की जाए।
2. जलकरों की बन्दोवस्ती के नाम पर मछुआरों से प्रतिवर्ष लगभग चौदह करोड़ रूपये राजस्व की वसूली के स्थान पर मात्र ¸ 1६ (एक रूपये) का टोकन राशि लेकर बंदोवस्ती की जाए।
3. बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–12 के आलोक में प्राकृतिक आपदा, बाढ़–सुखाड़ में मछुआरों द्वारा पाली गई मछलियों की क्षतिपूर्त्ति की जाए एवं जलकरों का राजस्व माफ की जाए।
4. सभी मछुआरो/मत्स्यपालकों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने सम्बन्धी नियमावली बनाई जाए तथा शहरी क्षेत्र के मत्स्य बिक्री से जुड़े मछुआरों को पंजीकृत करते हुए मत्स्य क्रेडिट कार्ड मुहैया कराई जाए।
5. भारत सरकार के राहत एवं बचत योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष ¸ 3600/– प्रति मछुआ को भुगतान किया जाए तथा सदाबहार नदियों में मत्स्य शिकारमाही हेतु निःशुल्क शिकारमाही परिचय–पत्र निर्गत की जाए।
6. तालाबों का जीर्णोद्धार नरेगा योजनान्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्वावलंबी सहकारी समिति के माध्यम से कराई जाए।
7. भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्यान्तर्गत अवस्थित सभी विभागों यथा शिक्षा, जिला परिषद, जल संसाधन, पी0डब्लू0डी0, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागीय जलकरों का हस्तांतरण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को किया जाए।
8. राज्य सरकार के अधिनियम के आलोक में बालू घाट एवं जलचट्ट भूमि की बंदोवस्ती मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ की जाए।
9. राज्य के प्रत्येक जिला में दक्ष गोताखोर मछुआरों की नियुक्ति की जाए।
10. मत्स्यपालक विकास अभिकरण के प्रबंधकारिणी समिति में स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्वावलंबी समिति के प्रतिनिधियों को सरकार के स्तर से यथाशीध्र मनोनीत की जाए।
11. मखाना को बिक्री कर से मुक्त किया जाए तथा धान एवं गेहूँ के तर्ज पर मखाना की अधिप्राप्ति सरकारी स्तर पर की जाए।
12. भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्यान्तर्गत मछुआ बाहुल्य बस्तियों में मछुआ आवास, सामुदायिक भवन, चापाकल एवं शौचालय का निर्माण बड़े पैमाने पर कराया जाए एवं प्रत्येक जिला में मछुआ छात्रावास एवं मछुआरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
13. बिहार सरकार द्वारा मत्स्य विकास के लिए स्वीकृत रोड मैप के आलोक में प्रगतिशील मछुआरों को मत्स्य किसान श्री, भूषण एवं रत्न की उपाधि एवं राशि प्रदान की जाए।
14. मछुआरों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा मांगी गई प्रतिवेदन को यथाशीध्र भेजा जाए।
15. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन जलकरों से सटे निजी/व्यक्तिगत (भूमि) जलकरों को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाए।
16. बुनकरों के तर्ज पर मछुआरों के कर्ज को भी माफ की जाए एवं प्रत्येक समिति को पाँच–पाँच लाख रूपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाए।
17. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद एवं अन्य मछुआरों/मत्स्यपालकों की योजनाओं का प्रचार–प्रसार विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रोनिक मीडियाओं एवं अन्य माध्यम से कराई जाए।
18. मछुआरों द्वारा पाली गई मछलियों में जहर डालने तथा अवैध शिकारमाही करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हेतु फोरेस्ट विभाग एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तर्ज पर सख्त कानून बनाया जाए।
19. प्रखण्ड स्तर पर पद सृजित कर वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन करने हेतु मछुआ जाति के उम्मीदवारों को मत्स्य टेक्निशीयन के पद पर बहाल की जाए। राज्य के बाहर प्राथमिकता के आधार पर पहले मछुआरे को प्रशिक्षित किया जाए।

20. बाढ़ के दौरान नौका के साथ सेवा देने वाले नाविकों/मछुआरों को पारिश्रमिक भुगतान, नाव भाड़ा एवं नाव लौटाया जाए।
21. मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन मत्स्य पुलिस का गठन किया जाए।
22. राज्य स्तर पर मात्स्यिकी संग्रहालय की स्थापना की जाए।
23. पूर्व से बन्दोवस्त जलकरो का राजस्व सीधे बैंक खाता में जमा करने संबंधी दिशा निर्देश निर्गत किया जाए।
24. राज्य मात्स्यिकी बोर्ड/मात्स्यिकी आयोग की स्थापना की जाए।
25. जिन प्रखण्डो में मत्स्यजीवी समिति निबंधित नहीं है उन प्रखण्डों में निबंधन करने का आदेश निर्गत किया जाए।
26. नाव बनाने वाले कारिगरो/मछुआरों को विशेष अनुदान मुहैया कराया जाए।
27. सैरात रिमीनशन कमिटी का गठन किया जाए एवं पूर्व के सभी बकाया राजस्व को माफ किया जाए।
28. गंगा एक्शन प्लान के तहत राज्य के शहरों के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा नदी में छोड़ा जाए।
29. नाविको/मछुआरो के सुरक्षार्थ नौका परिचालन हेतु नियमावली बनाई जाए एवं नाव तथा नाविको का बीमा सरकारी खर्चे पर की जाए। डॉल्फिन शिकार के नाम पर अवैध रूप से दर्ज प्राथमिकी को वापस लिया जाए।
30. हज भवन के तर्ज पर मछुआ भवन निर्माण कराया जाए।
31. मछुआरों/मत्स्यपालकों को सौर उर्जा से चालित पम्प उपलब्ध कराया जाए।
32. मछुआरों/मत्स्यपालकों के हितार्थ मत्स्य विभाग में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू किया जाए।
33. माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेशानुसार तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए।
34. राज्य सरकार के निर्णयानुसार भूमिहीन मछुआरों को भूमि उपलब्ध कराई जाए।
35. राज्य सरकार के निर्णयानुसार 'मछली बीमा योजना' में शेष आधी राशि (प्रीमियम) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाए।
36. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के तर्ज पर मछुआरों के लिए लागू जनश्री बीमा योजना में प्रति मछुआ प्रतिवर्ष सौ रूपये अंशदान(प्रीमियम) का भुगतान किया जाए एवं कम–से–कम दस लाख मछुआरों को इस योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाए।
37. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मछुआरों के सामूहिक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत बीमित मछुआरों की संख्या कम–से–कम दस लाख की जाए।
38. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के तर्ज पर मछुआरों के लिए लागू पेंशन योजना (स्वावलंबन) में प्रति मछुआ प्रतिवर्ष एक हजार रूपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाए।
39. मनों के विकास/जीर्णोद्धार के नाम पर मत्स्यजीवी सहयोग/स्वावलंबी समिति को दिये गये ऋण को माफ किया जाए।

अतः तमाम मछुआ भाईयों एवं बहनों से अनुरोध है कि **"विश्व मात्स्यिकी दिवस"** 21 नवम्बर, 2011 के अवसर पर अपने अधिकार को प्राप्त करने हेतु हजारों–हजार की संख्या में पहुँचकर **मछुआरों का महापंचायत कार्यक्रम** को सफल बनावें।

: निवेदक :

निदेशक :– अरूण सहनी, दुर्गेश सहनी, विनोद महतो अरविन्द कुमार सहनी, राहुल कुमार (पूर्वी चम्पारण), मोहन सहनी (मधुबनी), अनिल सहनी (सहरसा), गणेश सहनी, सियाशरण सहनी (मुजफ्फरपुर), जागेश्वर प्रसाद सहनी (नालन्दा), हरेकृष्ण केवट (कटिहार), रंजीत चौधरी (खगड़िया), कविता आग्नेय, अंगेश्वर सहनी (दरभंगा), उमेश कुमार (रोहतास)।

प्रमंडल अध्यक्ष :– 1. राम प्रमोद सहनी (तिरहुत), 2. प्रदीप कुमार सहनी (सारण), 3. रामचन्द्र बिन्द (पटना), 4. कपिलदेव सहनी (पूर्णियाँ), 5. महादेव सहनी (दरभंगा), 6. विरेन्द्र कुमार केवट (मगध), वकील सहनी (गया), चमकलाल सहनी (मुँगेर), राजेन्द्र सहनी (कोशी)।

जिलाध्यक्ष :– 1. सुधीर सहनी (समस्तीपुर), 2. देवदत्त कुमार (गया), 3. कलानंद सिंह (अररिया), 4. दिलीप चौधरी (कैमूर), 5. वृज मोहन सहनी (मधुबनी), 6. दशरथ सहनी (मुजफ्फरपुर), 7. सुरेन्द्र सहनी (कटिहार), 8. बैद्यनाथ मुखिया (दरभंगा), 9. विरेन्द्र चौधरी (पश्चिमी चम्पारण), 10. अम्बिका बिन्द (रोहतास), 11. मोहन चौधरी (भोजपुर), 12. रामएकबाल चौधरी (बक्सर), 13. जितेन्द्र सहनी (जहानाबाद), 14. देवमुनी चौधरी (औरंगाबाद), 15. कृष्णा चंदेल (नवादा), 16. रामनाथ सहनी (सारण), 17. छोटेलाल सहनी (सिवान), 18. राधे–श्याम सहनी (गोपालगंज), 19. बुन्देल सहनी (शिवहर), 20. ओमप्रकाश सहनी (मुंगेर), 21. मोहन भगत निषाद (लखीसराय), 22. बच्चन चौहान (शेखपुरा), 23. श्रवण सहनी (खगड़िया), 24. रजनिश मुखिया (बेगुसराय), 25. कुमार मुन्ना राही (भागलपुर), 26. धन्नजय कुमार सहनी (बॉका), 27. दिनेश मुखिया (सुपौल), 28. प्रमोद कुमार महतो (मधेपुरा), 29. तारनी महलदार (पूर्णियाँ), 30. बल्लम प्रसाद सहनी (पटना), 31. राज कुमार केवट (नालंदा), 32. रामज्योति सहनी (सीतामढ़ी), 33. राज कुमार महतो (पूर्वी चम्पारण), 34. धुपलाल सिहं (किशनगंज), 35. विश्वनाथ सहनी (वैशाली), 36, बलिराम सहनी (अरवल), 37. अर्जून निषाद (जमुइ), 38. विलास मुखिया (सहरसा)।

प्रखंड अध्यक्ष :– बिहार राज्य के सभी प्रखंड अध्यक्ष। **विधि सलाहकार :–** बनारसी सहनी (अधिवक्ता)

नोट :– मत्स्यजीवी समिति के अध्यक्ष/मंत्री/मुख्य कार्यपालक/कार्यकारिणी सदस्यों/सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम के समर्थन में अपने सुझाव/मछुआरों की समस्याएँ लिखित(टंकित) रूप से कार्यक्रम से पहले अवश्य जमा कर दे ताकि आपके सुझावों/समस्याओं को सरकार तक पहुचाई जा सके। आपकी गरिमामयी उपस्थिति अनिवार्य है। यह पर्चा के साथ–साथ आपके लिए आमंत्रण पत्र है, कृपया इसें स्वीकार करनें की कृपा की जाय।

बिहार प्रान्तीय मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ लि0

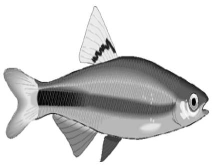

Co-operative Fisheries Federation (COFFED)

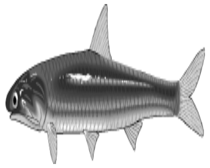

प्रथम तल, मीन भवन, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड (न्यू पुनाईचक), पटना–23

फोन नं0 :– 0612&2540328] 2540296] 2540651

मोबाईल नं0 :– 9304046315] 9430022718] 9939470408

Email : info@coffedltd.com, Website : www.coffedltd.com